## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी ( अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ) जैसलमेर
( पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर ०ए०एस )

मु0 संख्या :— 25/2017

| प्रार्थी | | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर | बनाम | 1. श्री उगाराम पुत्र रूपाराम कुमावत उम्र 54 वर्ष जाति कुमावत मूल निवासी गफूर भट्टा 1 ब्लॉक 45 एफ. बी. ओ. जैसलमेर जिला जैसलमेर(राज.)<br>2. मेसर्स कुमावत किराणा स्टोर, गडीसर चौराहा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) |

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (II) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 )

उपस्थित :—

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 1व 2 एवं उनके अधिवक्ता जहागीर मलिक

—:: निर्णय ::— दिनांकः 28.05.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (II) के तहत् अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.01.2017 को 11:00 एएम पर मेसर्स कुमावत किराणा स्टोर, गडीसर चौराहा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मेसर्स कुमावत किराणा स्टोर, गडीसर चौराहा, जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विकेता श्री उगाराम कुमावत पुत्र रूपाराम कुमावत कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विकेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर बताया। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड खाद्य पदार्थ 01 किलोग्राम की पॉलीपैक 25-25 किलो के 06 प्लास्टिक के कटे प्रत्येक में 25 पॉलीपैक प्रत्येक पैक 01किलो के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड लगभग एक-एक किलो के 04 पॉली पैक नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 40 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड 01 किलोग्राम की पॉलीपैक को मूल पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पैक्ट पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन-650 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और पैक्ट को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-650 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-650 आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता द्वारा दिनांक 01.02.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 31.01.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/5639-41 दिनांक 02.03.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./85/Act/2017/83 दिनांक 07.02.2017 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन-650/16140 दिनांक 22.

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

06.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री उगाराम पुत्र रूपाराम कुमावत उम्र 54 वर्ष जाति कुमावत मूल निवासी गफूर भट्टा 1 ब्लॉक 45 एफ. बी. ओ. जैसलमेर जिला जैसलमेर(राज.) 2.मेसर्स कुमावत किराणा स्टोर, गडीसर चौराहा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) ने मिथ्याछाप आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी की ओर से परिवाद के संबंध में जवाब में कथन किया गया है कि परिवाद में वर्णित दिनांक 31.01.2017 को मेसर्स कुमावत किराणा स्टोर, गडीसर चौराहा, जैसलमेर जिला जैसलमेर का निरीक्षण नही किया गया था व न ही अप्रार्थी श्री उगाराम दिनांक 31.01.2017 को मौके पर हाजिर नही था। खादय अनुज्ञा पत्र अप्रार्थी श्री उगाराम के नाम है। परिवाद में किये गये अन्य कथन गलत व मनगढ्त, असत्य होने से अस्वीकार किये गये है, व इनको साक्ष्य से पेश करने की पेशकस की गई है। परिवाद के अनुक्षेद संख्या 04 में वर्णित सभी वाक्यात सभी बनावटी , गलत एवं असत्य होना कथन करते हुए अस्वीकार किये गये है। महोकोष हैल्थ प्लस ब्राण्ड का नमूना लेना भी अस्वीकार किया गया है। अप्रार्थी ने जवाब मे आगे कथन किया गया है कि 25 पॉलीपैक प्रत्येक एक किलो के पैकेट सम्बंधित फर्म मैसर्स शिवनारायण राजेश कुमार, प्रताप मैदान के सामने, जैसलमेर से अप्रार्थी ने पैक में खरीदा जाना बताते हुए उसका बिल जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया है कि जिस पैक अवस्था में आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड नमक खरीदा गया था, व अप्रार्थी के स्तर पर पैकिंग व कोई बदलाव नही किया जाना बताया है, मिथ्याछाप एफएसएल में आया है तो इससे सम्बंधित फर्म मैसर्स शिवनारायण राजेश कुमार, प्रताप मैदान के सामने, जैसलमेर उतरदायी होकर दोषी है। अप्रार्थी का सीधे तौर पर कोई दायित्व या जिम्मेदारी नही होना बताया गया है। उक्त स्थिति के खरीद में मैसर्स शिवनारायण राजेश कुमार, प्रताप मैदान के सामने, जैसलमेर को आवश्यक पक्षकार बनाना आवश्यक है। परिवाद के अनुक्षेद संख्या 5 व 6 में वर्णित तथ्य गलत होना बताते हुए अस्वीकार होना बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा सेम्पल भरने व विक्रेता के हस्ताक्षर व फर्द तैयार करने करना भी अस्वीकार होना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

बताया गया है। परिवाद के अनुक्षेद संख्या 06 में वर्णित मिथ्याछाप व नमूना होने का उल्लेख के संबंध में अप्रार्थी का कोई दायित्व नही बनने व अप्रार्थी ने सम्बंधित फर्म का ही दायित्व बताया है। अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूॅ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./85/Act/2017/83 दिनांक 07.02.2017 के अनुसार आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड नमक का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया हैं। वही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थी अपने जवाव के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर मिथ्याछाप स्तर के आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड नमक का विकय करने के लिए दोष सावित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री उगाराम कुमावत जो मेसर्स कुमावत किराणा स्टोर, गडीसर चौराहा, जैसलमेर जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा_मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु आयोडाईज सॉल्ट महाकोष हेल्थ प्लस ब्राण्ड नमक विकय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner